(35)

न्यायालय उपजिलाधिकारी हापुड़।

वाद सं0 42/2012–13	धारा 143 जैड0ए0एण्ड एल0आर0एक्ट
परमार्थ एजुकेशनल ट्रस्ट	बनाम सरकार
	ग्राम अच्छैजा, तहसील हापुड़।

निर्णय दिनांक 3-6-13

प्रार्थी परमार्थ एजुकेशनल ट्रस्ट रजि0 एफ 22 मेन बजीराबाद रोड खजूरी खास दिल्ली 94 नरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र गिरधारी लाल निवासी गढ़ रोड हापुड़ के द्वारा धारा 143 उ0प्र0 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 27–04–2013 इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम भूमि खसरा संख्या 718मि0 रकबा 1.582हे0 व खसरा संख्या 718मि0 रकबा 0.2687हे0 स्थित ग्राम अच्छैजा परगना तहसील व जिला हापुड़ के मालिक काबिज व दाखिल भूमिधर है, प्रार्थी की भूमि पर मौके पर कृषि अथवा कृषि सम्बन्धित कोई कार्य नही हो रहा है, इस प्रकार अब उक्त भूमि अकृषिक भूमि हो गयी है, इसलिए कागजात माल विभाग में अब उक्त भूमि को अकृषिक भूमि दर्ज किया जाना व उस पर निर्धारित मालगुजारी समाप्त किया जाना की कृपा करे। प्रार्थीगण की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में ग्राम अच्छैजा की उद्धरण खतौनी वर्ष 1419 ता 1424फ0 प्रस्तुत की गयी।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार हापुड़ से आख्या प्राप्त की गयी, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। तहसीलदार हापुड़ द्वारा दिनांक 23–05–2013 को उ0प्र0 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 व नियम 135 के अन्तर्गत आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमे उल्लिखित किया गया है कि खसरा संख्या 718मि0 रकबा 1.582हे0 व खसरा संख्या 718मि0 रकबा 0.2687हे0 स्थित ग्राम अच्छैजा परगना तहसील व जिला हापुड़ पर वादी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। स्थल पर इस भूमि में कृषि अथवा कृषि सम्बन्धि कोई कार्य नही हो रहा है और ना ही मुक्कुट पालन किया जा रहा है। बल्कि मौके पर स्कूल की इमारत बनी हुई है। तहसील आख्या में उक्त भूमि को धारा 143 जैड0ए0 एण्ड एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत अकृषित भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है। नियम 135 के प्रारूप पर हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या दिनांक 20–05–2013 में वर्णित किया कि खसरा संख्या 718मि0 रकबा 1.582हे0 व खसरा संख्या 718मि0 रकबा 0.2687हे0 स्थित ग्राम अच्छैजा परगना तहसील व जिला हापुड़ में हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण की कोई भी योजना प्रास्तावित नही है। वाद दर्ज रजिस्टर कर पक्षों को नोटिस जारी किये गये।

सम्बन्धित पक्षों को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। मैने प्रार्थीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम अच्छैजा की उद्धरण खतौनी 1419 ता 1424 फसली पर वादी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। तहसीलदार हापुड़ द्वारा अपनी आख्या में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि खसरा संख्या 718मि0 रकबा 1.582हे0 व खसरा संख्या 718मि0 रकबा 0.2687हे0 स्थित ग्राम अच्छैजा परगना तहसील व जिला हापुड़ पर कृषि अथवा कृषि सम्बन्धि कोई कार्य नही हो रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा नियम 135 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि स्थल पर कोई कृषि अथवा कृषि से सम्बन्धित कार्य नही हो रहा है। बल्कि मौके पर स्कूल की इमारत बनी हुई है। चूंकि उक्त भूमि कृषि कार्यो में प्रयोग नही की जा रही है। अतः यदि भविष्य में प्रश्नगत भूमि का क्रय–विक्रय होता है तो प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित न करने पर राज्य सरकार को रूपये राजस्व की हानि होगी। तहसीलदार ने प्रश्नगत भूमि को अकृषित भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर तहसीलदार हापुड़ की आख्या दिनांक 23–05–2013 स्वीकार किये जाने योग्य है।

Remove Watermark
Wondershare PDFelement

::—आदेश—::

अतः प्रश्नगत भूमि के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तहसीलदार हापुड की आख्या दिनांक 23–05–2013 की पुष्टि की जाती है। तद्नुसार खसरा संख्या 718मि0 रकबा 1.582हे0 व खसरा संख्या 719मि0 रकबा 0.2687हे0 स्थित ग्राम अच्छैजा परगना तहसील व जिला हापुड को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि(अकृषिक) घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है. अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नही होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं भूमि पर निर्माण हापुड मिलखुआ विकास प्राधिकरण महायोजन 2021 के अनुसार अनुमन्य होगा। अभिलेखों में अमलदरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार हापुड को व आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, हापुड को भेजी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 31–05–2013

(जे0एस0मिश्रा) 31/5/13
उप जिलाधिकारी,
हापुड।